HRA AN USIUSION Che Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

H. 226] No. 226] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 20, 2009/चैत्र 30, 1931 NEW DELHI, MONDAY, APRIL 20, 2009/CHAITRA 30, 1931

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 2009

सा.का.नि. 259(अ),—केन्द्रीय सरकार, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 9 की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 63 की उप-धारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (चयन सिमिति की अवधि और नामों के पैनल के चयन की रीति) नियम, 2008 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (चयन समिति की अविधि और नामों के पैनल के चयन की रीति) द्वितीय संशोधन नियम, 2009 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रकृत होंगे।
- 2. भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (चयन समिति की अवधि और नामों के पैनल के चयन की रीति) नियम, 2008 के नियम 4 के उप-नियम में "संयुक्त सचिव" शब्दों के स्थान पर "ऐसा कोई अधिकारी जो संयुक्त सचिव के स्तर से नीचे का न हो" शब्द रखे जाएं।

[फा. सं. 5/22/2007-आईजीसी/सीसी]

जितेश खोसला, संयुक्त सचिव

टिप्पण: --मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सं सा.का.नि 111(अ), तारीख 27 फरवरी, 2008 द्वारा प्रकाशित किए गए और सं. सा.का.नि. 156(अ), तारीख 6 मार्च, 2009 द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 20th April, 2009

G.S.R. 259(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 63 read with sub-section (2) of Section 9 of the Competition Act, 2002 (12 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Competition Commission of India (Term of the Selection Committee and the Manner of Selection of Panel of Names) Rules, 2008, namely:—

- (1) These rules may be called the Competition Commission of India (Term of the Selection Committee and the Manner of Selection of Panel of Names) Second Amendment Rules, 2009.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Competition Commission of India (Term of the Selection Committee and the Manner of Selection of Panel of Names) Rules, 2008, in sub-rule (4) of rule 4, for the words "The Joint Secretary", the words "An officer not below the level of Joint Secretary" shall be substituted.

[F. No. 5/22/2007-IGC/CC]

JITESH KHOSLA, Jt. Secy.

Note:—The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (i) vide number G.S.R.111(E), dated the 27th February, 2008 and amended vide Number G.S.R. 156(E), dated 6th March, 2009.

1487 GI/2009